अनु०-1

बिहार सरकार
अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
सं0–1/पी0सी0आर0(विविध)–09–31/2011– 371

प्रेषक,

रवि परमार,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।
सभी आरक्षी अधीक्षक।

पटना, दिनांक–16.2.12

विषयः– **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (संशोधन) नियम–2011 को लागू करने के संबंध में।**

महाशय,

संयुक्त सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली ने अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या–11012/12/2008– पी0सी0आर0 (डेस्क) दिनांक–20 जनवरी, 2012 द्वारा **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (संशोधन) नियम–2011** की प्रति उपलब्ध करायी है। यह संशोधन दि0–23–12–2011 से प्रभावी है। उक्त संशोधन नियम में जिसमें मुख्य रूप से निम्नांकित संशोधित नियम–2011 में निम्नांकित संशोधन किये गये हैं :–

1– नियम–1995 के एनेक्चर–I में संशोधन किया गया है जिससे सामान्य रूप से अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को दी जाने वाली राहत के न्यूनतम दरों में करीब 150 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है । (हिंदी एवं अंग्रेजी छाया प्रति संलग्न) ।

2– नियम–1995 के एनेक्चर–II में विभिन्न विकलांगताओं के निर्धारण के संबंध में संशोधन किये गये हैं ।

संशोधित नियम–2011 की प्रतिलिपि भेजते हुए अनुरोध है कि अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को संशोधित दरों पर राहत उपलब्ध कराने तथा विकलांगता के निर्धारण के संबंध में किये गये संशोधन के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। साथ ही इस संशोधनों का सभी संबंधित पदाधिकारियों को अवगत कराया जाय।

अनु0यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

(रवि परमार) 16/2/12
सरकार के सचिव।

16

Most Immediate

संयुक्त सचिव
JOINT SECRETARY

Sanjeev Kumar
Telefax: 011-23383853

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सामाजिक न्यान और अधिकारिता मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 115
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE
AND EMPOWERMENT
SHASTRI BHAWAN, NEW DELHI-110 115

D.O. No. 11012/2/2008-PCR(Desk)

20th January, 2012

Dear Sh. Ravi ji

In exercise of powers conferred by sub-section(1) of Section 23 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes(Prevention of Atrocities) Act, 1989, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995, were notified on 31.03.1995. These Rules had not been amended thereafter.

2. The Central Government has, after consultation with State Governments/Union Territory Administrations, concerned Central Ministries, National Commission for Scheduled Castes etc. issued a notification on 23.12.2011,effecting the following main amendments in the said Rules:-

(i) Amendment of Annexure I of the Scheduled, effecting an increase –generally of 150% in the minimum scale of relief for victims of atrocities

(ii) Amendment of Annexure-II of the Schedule, replacing the earlier guidelines dated 06.8.1996, for assessment of various disabilities with the guidelines dated 01.6.2011, currently in force.

3. A copy of above Notification dated 23.12.2011, as published in the Gazette of India, Extraordinary, is enclosed, for necessary action. While the contents of the Notification may be brought to the notice of all concerned Departments/Officers for immediate necessary action, they may please not be publicized in the media till 09.3.2012, i.e. till the Model Code of Conduct is in operation in the context of the forthcoming Assembly elections in Uttar Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Manipur and Goa.

4. I shall be grateful if the amendments are urgently brought to the notice of all concerned Departments in the State/UT, for necessary action.

Yours sincerely,

(Sanjeev Kumar)

Encl: As above.

Shri Ravi Parmar,
Principal Secretary,
Welfare Department,
Government of Bihar,
State Secretariat, Patna.
Fax 0612-2217251/2215265

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 682] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 23, 2011/पौष 2, 1933
No. 682] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 23, 2011/PAUSA 2, 1933

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2011

सा.का.नि. 896(अ).—केन्द्रीय सरकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 23 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (संशोधन) नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है), के नियम 16 के उपनियम (1) के खण्ड (iv) में "निदेशक/उप निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग" शब्दों के स्थान पर "राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रतिनिधि" शब्द रखे जाएंगे ।

3. मूल नियमों में अनुसूची और उपाबंध-I के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :

"अनुसूची

उपबंध-1

(नियम 12 (4) देखें)

(राहत राशि के लिए मापदण्ड)

क्रम सं.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
(1)	(2)	(3)
1.	अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीना या खाना [धारा 3(1) (i)]	प्रत्येक पीड़ित को अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए 60,000/- रुपए या उससे अधिक और पीड़ित व्यक्ति द्वारा अनादर, अपमान, क्षति तथा मानहानि सहने के अनुपात में भी होगा । दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा : I. 25 प्रतिशत जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाए । II. 75 प्रतिशत जब निचले न्यायालयों द्वारा दोषसिद्ध ठहराया जाए ।
2.	क्षति पहुंचाना, अपमानित करना या क्षुब्ध करना [धारा 3(1) (ii)]	
3.	अनादरसूचक कार्य [धारा 3(1) (iii)]	
4.	सदोष भूमि अभिभोग में लेना या उस पर कृषि करना, आदि [धारा 3(1) (iv)]	अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए कम से कम 60,000/- रुपए या उससे अधिक भूमि/परिसर/जल की आपूर्ति जहां आवश्यक हो, सरकारी खर्च पर पुन: वापस की जाएगी । जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाए पूरा भुगतान किया जाए ।
5.	भूमि, परिसर या जल से संबंधित [धारा 3(1) (v)]	
6.	बेगार या बलात्श्रम या बंधुआ मजदूरी [धारा 3(1) (vi)]	प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को कम से कम 60,000/- रुपए, प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्टेज पर 25 प्रतिशत और 75 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर ।
7.	मतदान के अधिकार के संबंध में [धारा 3(1) (vii)]	प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 50,000/- रुपए तक जो अपराध के स्वरूप और गंभीरता पर निर्भर है ।
8.	मिथ्या द्वेष पूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाही [धारा 3(1) (viii)]	60,000/- रुपए या वास्तविक विधिक व्यय और क्षति की प्रतिपूर्ति या अभियुक्त के विचारण की समाप्ति के पश्चात जो भी कम हो ।
9.	मिथ्या या तुच्छ जानकारी	

	[धारा 3(1) (ix)]	
10.	अपमान, अभित्रास और अवमानना [धारा 3(1) (x)]	अपराध के स्वरूप पर निर्भर करते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 60,000/- रुपए तक 25 प्रतिशत उस समय जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाए और शेष दोष सिद्ध होने पर ।
11.	किसी महिला की लज्जा भंग करना [धारा 3(1) (xi)]	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को 1,20,000/- रुपए, चिकित्सा जांच के पश्चात 50 प्रतिशत का भुगतान किया जाए और शेष 50 प्रतिशत का विचारण की समाप्ति पर भुगतान किया जाए ।
12.	महिला का लैंगिक शोषण [धारा 3(1) (xii)]	
13.	पानी गन्दा करना [धारा 3(1) (xiii)]	2,50,000/- रुपए तक जब पानी को गन्दा कर दिया जाए तो उसे साफ करने सहित या सामान्य सुविधा को पुन: बहाल करने की पूरी लागत । [illegible] स्तर पर जिस पर जिला प्रशासन द्वारा ठीक समझा जाए भुगतान किया जाए ।
14.	मार्ग [illegible] रुढ़िजन्य अधिकार से वंचित करना [धारा 3(1) [illegible]]	2,50,000/- रुपए तक या मार्ग के [illegible]धिकार को पुन: बहाल करने की पूरी लागत और जो नुकसान हुआ है, यदि कोई हो, उसका पूरा प्रतिकर। 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाए और 50 [illegible] निचले न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर ।
15.	किसी [illegible] [धारा 3(1) [illegible]]	[illegible] बहाल करना । ठहराने का अधिकार और प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 60,000/- रुपए का प्रतिकर तथा सरकार के खर्च पर मकान का पुनर्निर्माण, यदि नष्ट किया गया हो । पूरी लागत का भुगतान जब निचले न्यायालय में आरोप-पत्र भेजा जाए ।
16.	मिथ्या साक्ष्य देना [धारा 3(2) (i) और (ii)]	कम से कम 2,50,000/- रुपए या उठाए गए नुकसान या हानि का पूरा प्रतिकर । 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप-पत्र न्यायालय में भेजा जाए और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर ।
17.	भारतीय दण्ड संहिता के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध करना [धारा 3(2)]	अपराध के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को या उसके आश्रित को कम से कम 1,20,000/- रुपए यदि अनुसूची में विशिष्ट । अन्यथा प्रावधान किया हुआ हो तो इस राशि में अन्तर होगा ।
18.	किसी लोक सेवक के हाथों उत्पीड़न [धारा 3(2) (vii)]	उठाई गई हानि या नुकसान का पूरा प्रतिकर । 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाए और 50 प्रतिशत का भुगतान जब निचले न्यायालय में दोषसिद्ध हो जाए, किया जाएगा ।
19.	निःशक्तता	

	नि:शक्तता की परिभाषा नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा में यथा प्रदत्त होगी और उसके निर्धारण के लिए दिशानिर्देश सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तारीख 01.06.2001 की भारत सरकार अधिसूचना संख्या 154, समय-समय पर यथा संशोधित में अंतर्विष्ट होगी । अधिसूचना की एक प्रति अनुसूची के उपाबंध-2 पर संलग्न है ।	
	(क) 100 प्रतिशत असमर्थता (i) परिवार का न कमाने वाला सदस्य	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 2,50,000 रुपए, 50 प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट पर और 25 प्रतिशत आरोप-पत्र पर और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर ।
	(ii) परिवार का कमाने वाला सदस्य	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 5,00,000/- रुपए, 50 प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट/चिकित्सा जांच पर भुगतान किया जाए और 25 प्रतिशत जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाए तथा 25 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोषसिद्ध होने पर ।
	(ख) जहां असमर्थता 100 प्रतिशत से कम है।	उपर्युक्त क (i) और (ii) में निर्धारित दरों को उसी अनुपात में कम किया जाएगा, भुगतान के चरण भी वहीं रहेंगे । तथापि, न कमाने वाले सदस्य को 40,000/- रुपए से कम नहीं और परिवार के कमाने वाले सदस्य को 80,000/- से कम नहीं होगा ।
20.	हत्या/मृत्यु (क) परिवार का न	प्रत्येक मामले में कम से कम 2,50,000/- रुपए । 75 प्रतिशत

	कमाने वाला सदस्य (ख) परिवार का कमाने वाला सदस्य	पोस्टमार्टम के पश्चात और और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर । प्रत्येक मामले में कम से कम 5,00,000/- रुपए । 75 प्रतिशत का भुगतान पोस्टमार्टम के पश्चात और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोषसिद्ध होने पर ।
21.	हत्या, मृत्यु, नरसंहार, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, गैंग द्वारा किया गया बलात्संग, स्थायी असमर्थतता और डकैती का पीड़ित ।	उपर्युक्त मदों के अंतर्गत भुगतान की गई राहत की रकम के अतिरिक्त, राहत की व्यवस्था अत्याचार की तारीख से तीन माह के भीतर निम्नलिखित रूप से की जाए :- (i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मृतक की प्रत्येक विधवा और/या अन्य आश्रितों को 3,000/- रुपए प्रति मास की दर से, या मृतक के परिवार के एक सदस्य को रोजगार या कृषि भूमि, एक मकान यदि आवश्यक हो तो तत्काल खरीद द्वारा । (ii) पीड़ितों के बच्चों की शिक्षा और उनके भरण-पोषण का पूरा खर्चा/बच्चों को आश्रम स्कूलों/आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जाए । (iii) तीन माह की अवधि तक बर्तनों, चावल, गेंहूं, दालों, दलहनों आदि की व्यवस्था ।
22.	पूर्णतया नष्ट करना/ जला हुआ मकान ।	जहां मकान को जला दिया गया हो या नष्ट कर दिया गया हो । वहां सरकारी खर्च पर ईंट पत्थर के मकान का निर्माण किया जाए या उसकी व्यवस्था की जाए ।"

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2011

G.S.R. 896(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 23 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (33 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995, namely:-

1. *(1)* These rules may be called the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities)(Amendment) Rules, 2011

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the principal rules), in clause (iv) of sub-rule (1) of rule 16, for the words and figure "Director/Deputy Director, National Commission for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes", the words, "representatives of the National Commission for Scheduled Castes and the National Commission for Scheduled Tribes" shall be substituted.

3. In the principal rules, for the schedule and Annexure-I, the following shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE

ANNEXURE-I

(see rule 12(4))

NORMS FOR RELEIF AMOUNT

Sl. No.	Name of the Offence	Minimum amount of Relief
(1)	(2)	(3)
1	Drink or eat inedible or obnoxious substance [Section 3 (1) (i)]	Rs. 60,000/- or more depending upon the nature and gravity of the offence to each victim and also commensurate with the indignity, insult, injury and defamation suffered by the victim. Payment to be made as follows: I. 25% when the charge sheet is sent to the Court II. 75% when accused are convicted by the lower court.
2	Causing injury insult or annoyance [Section 3(1)(ii)]	
3	Derogatory act [Sec. 3(1) (iii)]	
4	Wrongful occupation or cultivation of land, etc. [Section 3(1)(iv)]	At least Rs.60,000/- or more depending upon the nature and gravity of the offence. The land/premises/water supply shall be restored where necessary at Government cost, Full payment to be made when charge-sheet is sent to the court.
5	Relating to land, premises and water [Section 3(1)(v)]	
6	Begar or forced or bonded labour [Section 3(1) (vi)]	Atleast Rs.60,000/- to each victim, payment of 25% at FIR stage and 75% on conviction in the lower court.
7	Relating to right to franchise {Section 3(1)(vii)}	Upto Rs.50,000/ - to each victim depending upon the nature and gravity of the offence.
8	False, malicious or vexatious legal proceedings [Section 3(1) (viii)]	Rs.60,000/- or reimbursement of actual legal expenses and damages or whichever is less after conclusion of the trial of the accused.
9	False and frivolous information [Section 3 (1)(ix)]	
10	Insult, intimidation and humiliation [Section 3 (1)(x)]	Upto Rs.60,000/- to each victim depending upon the nature of the offence. Payment of 25% when charge-sheet is sent to

"SCHEDULE

ANNEXURE-I

(see rule 12(4))

NORMS FOR RELEIF AMOUNT

Sl. No.	Name of the Offence	Minimum amount of Relief
(1)	(2)	(3)
1	Drink or eat inedible or obnoxious substance [Section 3 (1) (i)]	Rs. 60,000/- or more depending upon the nature and gravity of the offence to each victim and also commensurate with the indignity, insult, injury and defamation suffered by the victim. Payment to be made as follows: I. 25% when the charge sheet is sent to the Court II. 75% when accused are convicted by the lower court.
2	Causing injury insult or annoyance [Section 3(1)(ii)]	
3	Derogatory act [Sec. 3(1) (iii)]	
4	Wrongful occupation or cultivation of land, etc. [Section 3(1)(iv)]	At least Rs.60,000/- or more depending upon the nature and gravity of the offence. The land/premises/water supply shall be restored where necessary at Government cost, Full payment to be made when charge-sheet is sent to the court.
5	Relating to land, premises and water [Section 3(1)(v)]	
6	Begar or forced or bonded labour [Section 3(1) (vi)]	Atleast Rs.60,000/- to each victim, payment of 25% at FIR stage and 75% on conviction in the lower court.
7	Relating to right to franchise {Section 3(1)(vii)}	Upto Rs.50,000/ - to each victim depending upon the nature and gravity of the offence.
8	False, malicious or vexatious legal proceedings [Section 3(1) (viii)]	Rs.60,000/- or reimbursement of actual legal expenses and damages or whichever is less after conclusion of the trial of the accused.
9	False and frivolous information [Section 3 (1)(ix)]	
10	Insult, intimidation and humiliation [Section 3 (1)(x)]	Upto Rs.60,000/- to each victim depending upon the nature of the offence. Payment of 25% when charge-sheet is sent to

		the court and rest on conviction.
11	Outraging the modesty of a woman [Section 3 (1)(xi)]	Rs.1,20,000/- to each victim of the offence .50% of the amount may be paid after medical examination and remaining 50% at the conclusion of the trial.
12	Sexual exploitation of a woman [Section 3(1)(xii)]	
13	Fouling of water [Section 3 (1) (xiii)]	Upto Rs. 2,50,000/- or full cost of restoration of normal facility, including cleaning when the water is fouled. Payment may be made at the stage as deemed fit by District Administration.
14	Denial of customary rights of passage[Section 3(1) (xiv)]	Upto Rs.2,50,000/- or full cost of restoration of right of passage and full compensation of the loss suffered, if any. Payment of 50% when charge sheet is sent to the court and 50% on conviction in lower-court.
15	Making one desert place of residence[Section 3(1) (xv)]	Restoration of the site/right to stay and compensation of Rs.60,000/- to each victim and reconstruction of the house at Govt. cost, if destroyed, To be paid in full when charge sheet is sent to the lower court.
16	Giving false evidence [Section 3(2)(i) and (ii)]	At least Rs.2,50,000/- or full – compensation of the loss or harm sustained. 50% to be paid when charge sheet is sent to Court and 50% on conviction by the lower court.
17	Committing offences under the Indian Penal Code punishable with imprisonment for a term of 10 years or more [Section 3 (2)]	Atleast Rs.1,20,000/- depending upon the nature and gravity of the offence to each victim and or his dependents. The amount would vary if specifically otherwise provided in the Schedule.
18	Victimization at the hands of a public servant [Section 3(2)(vii)]	Full compensation on account of damages or loss or harm sustained. 50% to be paid when charge-sheet is sent to the Court and 50% on conviction by lower court.
19	Disability. The definition of disability shall be as given in Section 2 of the Persons With Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, and guidelines for their assessment shall be as contained in the Ministry of Social Justice & Empowerment, G.O.I. Notification No. 154,	

	dated 01.6.2001, as amended from time to time. A copy of the Notification is at Annexure – II to the Schedule.	
	(a) 100% incapacitation	
	(i) Non- earning Member of a family	At least Rs.2,50,000/- to each victim of offence. 50% on FIR and 25% at charge sheet and 25% on conviction by the lower court.
	(ii) Earning Member of a family	At least Rs.5,00,000/- to each victim of offence, 50% to be paid on FIR/Medical examination stage, 25% when charge-sheet sent to court and 25% at conviction in lower court.
	(b) Where incapacitation is less than 100%	The rates as laid down in a(i) and (ii) above shall be reduced in the same proportion, the stages of payments also being the same. However, not less than Rs.40,000/- to non earning member and not less than Rs.80,000/- to an earning member of a family.
20	Murder /Death	
	(a) Non-earning Member of a family	At least Rs.2,50,000/- to each case. Payment of 75% after postmortem and 25% on conviction by the lower court.
	(b) Earning Member of a family	At least Rs. 5,00,000/- to each case. Payment of 75% after postmortem and 25% on conviction by the lower Court.
21	Victim of murder, death, massacre, rape mass rape and gang rape, permanent incapacitation and dacoity	In addition to relief amounts paid under above items, relief may be arranged within three months of date of atrocity as follows:- (i) Pension to each widow and/or other dependents of deceased SC and ST @ Rs. 3,000/- per month, or Employment to one member of the family of the deceased, or provision of agricultural land, an house, if necessary by outright purchase. (ii) Full cost of the education and maintenance of the children of the victims. Children may be admitted to Ashram Schools/ residential schools. (iii) Provision of utensils, rice, wheat, dals, pulses, etc. for a period of three month
22	Complete destruction/burnt houses	Brick/stone masonary house to be constructed or provided at Government cost where it has been burnt or destroyed."